कार्यालय जिला पंचायत,देवरिया।
अल्पकालिक निविदा सूचना

जिला पंचायत देवरिया के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत प्राप्त धन से 110 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट (75 वाट का सोलर पैनल,12वोल्ट–75,ए0एच क्षमता की ट्यूबलर बैटरी,बैटरी बाक्स तार,12वाट हवाईट एलईडी लैम्प,पोल फ्रेम आदि 05 वर्ष की वारंटी सहित) का मुहरबन्द निविदा दिनांक 07.01. 2017 को प्रातः अपरान्ह 2:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे से उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा खोली जायेगी तथा निविदा की बिक्री उक्त तिथि को ही प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय में की जायेगी। निविदा हेतु निम्न शर्ते होंगीः–

1. प्रत्येक निविदा के साथ कार्य की लागत का 2 प्रतिशत सत्यंकार राशि जमा करना अनिवार्य होगा जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंको का एफ0डी0आर0 अथवा नकद के रूप में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के पदनाम से बन्धक होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
2. निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार निर्माण का परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्तीकरण का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा । पंजीकृत ठेकेदार का निर्माण नियमावली/अनुबन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई क्लेम/आपत्ति मान्य नही होगा।
3. कोई भी अधिवक्ता जो राज्य वार काउंसिल में पंजीकृत हो तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/ सदस्य/अधिकारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदार निविदा प्रकिया में भाग नही ले सकते है।
4. ए. बी. सी. श्रेणी के ठेकेदारों से निविदा उनकी कार्यसीमा के अन्दर ही मान्य की जायेगी।
5. निविदा के साथ मु0–100–00 रू0 का स्टाम्प पेपर तथा एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर निविदा बाक्स में डाला जायेगा।
6. निविदा वेबसाईट www.deoria.nic.in पर भी देखी एवं download की जा सकती है।
7. निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करनें का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
8. बिना कार्यादेश जारी हुये कार्य प्रारम्भ करनें पर भुगतान की जिम्मेदारी जिला पंचायत की नही होगी एवं इसके लिए ठेकेदार पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. शेष नियम एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से की जा सकती है।
10. निविदा फार्म मूल्य पर 14.5 प्रतिशत बैट अतिरिक्त देय होगा।
11. कार्य को पूर्ण करने की अवधि एक माह नियत है।

(रामजी यादव) अभियन्ता जिला पंचायत,देवरिया।	(हरिओम नारायण चन्द) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,देवरिया।	(रामप्रवेश यादव) अध्यक्ष जिला पंचायत,देवरिया।

कार्यालय जिला पंचायत,देवरिया।

पत्रांकः–816 /जि0पं0/देवरिया   दिनांक– 22 दिसम्बर,2016

प्रतिलिपिः–

1– विज्ञापन व्यवस्थापक समाचार पत्र .... को इस आशय से कि अपने समाचार पत्र के अगले अंक में उपरोक्त सूचना कम से कम स्थान एंव छोटे–छोटे अक्षरो में प्रकाशित कर विल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2– वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, देवरिया को इस आशय से कि कृपया उक्त तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें।

3– प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 देवरिया को उपरोक्त निविदा सूचना बेवसाईट पर डाउनलोड करनें हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, देवरिया।